संलग्नक-2

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 679 / 12–1 रूद्रपुर, दिनांक 12.09.2022

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल लागत

कार्यालय प्रमुख वन सरंक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1459 / 3–5–2 दिनांक 01.07.2021 के आधार पर निर्गत किया जाता है कि केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर–मदकोटा–हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु **33.40 है0** वन भूमि के सापेक्ष वर्तमान दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत निम्न प्रकार हैः–

Item	Rate	Area	Amount (in rupees)
Compensatory Afforestation Amount	4,07,992.00 रू0 / है0	33.40 है0	रू0 1,36,26,932.80

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

सं0: 679 / 12–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

उत्तराखण्ड वन विभाग

CamScanner
Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

85 राजपुर रोड, फोन 0135-2746934 फैक्स 0135-2741639 Mail Id. pccfuk@gmail.com

संख्या- 1459 /3-6-2 P.O   देहरादून: 01

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की पत्र संख्या क-972/3-5-2(III) दिनांक 21-11-2017

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण, 1.00 हे0 से कम के प्रकरणों में रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की 10 गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु एवं मलवा निस्तारण स्थलों के उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगाई जाती है। अतः उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1989 में वृक्षारोपण हेतु दरों का निर्धारण किया गया था। जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्राविधान भी था। (पताका-क)

2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, बौनी प्रजाति के वृक्षों के रोपण, मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के रोपण की दरें सन् 2020-21 तक निर्धारित की गई हैं। (पताका-ख)

अतः वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0 (रु0 में)	बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण की दर प्रति हे0 (रु0 में)	रोड साईड वृक्षारोपण की दर प्रति किमी0 (रु0 में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षा0 (रु0 में)
2021-22	370902.00	370902.00	556128.00	1464 प्रति वृक्ष
2022-23	407992.00	407992.00	611741.00	1610 प्रति वृक्ष
2023-24	448791.00	448791.00	672915.00	1771 प्रति वृक्ष

अतः उपरोक्त तालिका के वित्तीय वर्ष के अनुसार परियोक्ता एजेन्सियों से धनराशि जमा कराई जाये, परन्तु यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय वर्ष में निर्धारित दरों के अनुसार धनराशि जमा करायी जा चुकी हो, तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(राजीव भरतरी) 1/7/21
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(1) प्रतिलिपि समस्त प्रभागीय वनाधिकारी पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) प्रतिलिपि मानचित्रकार / लेखाकार पश्चिमी वृत्त।
(3) प्रतिलिपि गार्ड बुक।

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त

Scanned with CamScanner

CamScanner

Scanned with CamScanner